

06/06/24

पत्रावली पेश हुई। प्राथमिकी तकनीक की ओर से बिफ होल्डर Mr. जुगत सिंह उपरोक्त मूल वाद Non-Compulsory (अपानना) में खारिज हो चुका है, अतः आवेदन में आगे की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर आवेदन Non-Compulsory (अपानना) में खारिज किया जाता है। पत्रावली जिसमें शुमार होकर दाखिल दफ्तर है।

सहायक कमिश्नर
(S.D.O) चौहटन